आखिरी जांच: 7 अक्टूबर 2026 · Backward Classes and Minority Welfare Department

Backward Classes Boys and Girls Hostel (Pichhda Varg Balak evam Balika Chhatravas)

मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास चलाता है, जहां पात्र विद्यार्थी मुफ्त रहते हैं।

क्या मिल सकता है

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के छात्रावास में मुफ्त रहने की सुविधा, चुने गए विद्यार्थियों को दी जाती है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश में स्थानीय शिक्षण संस्था के नियमित विद्यार्थी, जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा पास की हो, जिनका आचरण अच्छा हो और जिन्हें छात्रावास में रहना हो।

मुख्य शर्तें

- विद्यार्थी स्थानीय शिक्षण संस्था का नियमित विद्यार्थी हो।
- विद्यार्थी ने पिछले साल की वार्षिक परीक्षा पास की हो और उसका आचरण अच्छा हो।
- प्रवेश के लिए संस्था के प्रमुख का प्रमाणपत्र चाहिए।

दस्तावेज़

- शिक्षण संस्था के प्रमुख का प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. अपनी संस्था के प्रमुख से प्रमाणपत्र लें।
2. तय प्रारूप में आवेदन नोडल विभाग के विभागीय जिला अधिकारी को दें।
3. चयन समिति के चुनने के बाद प्रवेश दिया जाता है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://highereducation.mp.gov.in/?page=3AjINaTcYYVFotXn%2Bo%2Fu3g%3D%3D&leftid=ZnGWU%2BxYVl5%2BNBOUmwU4dg%3D%3D
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-pichhda-varg-chhatravas/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।